कार्यालय **जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी लैन्सडाउन (गढ़वाल)** के अवधि 05/2006 से 04/2016 तक के लेखा अभिलेखों का लेखापरीक्षा श्री संतोष कुमार गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री भानु प्रताप सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 07.05.2016 से 16.05.2016 तक वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित सम्प्रेक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

निरीक्षण आख्या **जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी लैन्सडाउन (गढ़वाल)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

भाग-प्रथम

(अ) परिचयात्मकः- उत्तराखण्ड राज्य गठन के बाद प्रथम लेखापरीक्षा है।

वर्तमान में माह 05/2006 से 04/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्न अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष का पदभार संभाले रखा-

1. ले. कर्नल बी.एस.नेगी	25.06.94 से 30.11.96
2. उप जिला अधि. लैसडाउन,	01.12.96 से 13.12.98
3. ले. कर्नल विष्णुदत्त शर्मा,	14.12.98 से 09.09.02
4. ले. कर्नल, आई.एस. थापा,	10.09.02 से 24.08.06
5. ले. कर्नल, जे.एम.एस. रावत,	25.08.06 से 16.10.06
6. ले. कर्नल, गिरीश पाणे,	17.10.06 से 31.08.07
7. कर्नल, आर.पी. सिंह,	01.09.07 से 31.08.13
8. मेजर, एम.एस. नेगी,	01.09.13 से 18.12.13
9. ले. कर्नल, अनिल वाघवा,	19.12.13 से 05.04.16
10. मेजर करन सिंह,	06.04.16 से वर्तमान तक

3. अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः- शून्य

4. सतत् अनियमिततायेः- शून्य

5. अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित)- शून्य

6. बजटः-

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	स्थापना		गैर-स्थापना	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2013-14	116.95	116.95	52.27	52.21
2014-15	168.81	168.76	60.92	60.76
2015-16	199.00	199.00	66.85	66.61

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्ण सैनिकों/विधावाओं को बिना भौतिक सत्यापन के पेंशन अनुदान का आवंटन/भुगतान।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक- 250(1)/XVII-5/2016-464(कल्याण)/2001, दिनांक 29.02.2016 के अनुक्रम में द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिक/विधावाओं को समय से पेंशन अनुदान का भुगतान किया जाना चाहिये, प्रतिमाह अनुदान की राशि ₹ 4000/- (रूपये चार हजार) प्रति लाभार्थी स्वीकृत है, तथा यह अनुदान राशि तभी देय होगी, जब कि त्रैमासिक रुप से ग्राम प्रधान द्वारा जीवित होने का प्रमाण पत्र दिया जाय एवं कम से कम छः माह में एक बार संबंधित जनपद के सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक लाभार्थी का भौतिक सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग द्वारा इस कार्य हेतु भी कुछ पूर्व सैनिकों की नियुक्ति ब्लॉक प्रतिनिधि के रूप में की जाती है, उनकी कार्यकुशलता एवं जवाब देही बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा ₹ 5000/- प्रतिमाह मानदेय तथा ₹ 1000/- यात्रा भत्ता भी देय है।

सम्प्रेक्षा में पाया गया कि 16 विधावाओं को उनका (जीवित होने के संबंध में) भौतिक सत्यापन किये बिना ही अनुदान की राशि भुगतान कर दी गई, जब कि इस कार्य हेतु जिला सैनिक एवं पुनर्वास अधिकारी द्वारा आठ ब्लॉक प्रतिनिधियों की नियुक्ति की गई है, तथा उन पर मानदेय ₹ 5000 + यात्रा व्यय ₹ 1000/- के हिसाब से कुल ₹ 48000/- प्रतिमाह व्यय किया जाता है।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा कि 16 पूर्व सैनिक/विधवाओं अपने बच्चो के साथ राज्य से बाहर रहने के कारण ब्लॉक प्रतिनिधियों/कल्याण कर्ताओं द्वारा भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वर्ष में दो बार जिला सैनिक एवं पुनर्वास अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है, तत्पश्चात ही पेंशन अनुदान की राशि भुगतान की जानी चाहिये थी,

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग दो 'ब'</u>

प्रस्तर 2: शासनादेशानुसार पी0 एल0 ए0 खाता न खोला जाना ।

सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 55/XXVII(14)/2010 दिनांक 11 जून 2011 जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड को प्रेषित है के द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या–99/XXVII(14)/2009 दिनांक 3 सितंबर 2009 पत्र संख्या 158/XXVII(14)/2009 दिनांक 27–11–2009 तथा पत्र संख्या 225/XXVII(14)/2010 दिनांक 22 मार्च 2010 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक विभाग को शासकीय धन को जमा करने हेतु अनिवार्य रूप से राज्य की अर्थोपाय स्थिति में संतुलन बनाये रखने के लिए समेकित निधि से आहरण तब किया जाय जब धनराशि के व्यय की तत्काल आवश्यकता हो के सिद्वान्त पर सभी सरकारी प्रतिष्ठानों, निकायों, परियोजनाओं, परिषदों आदि के अधिकारी सुसंगत लेखाशीर्षक के अधीन कोषागार में व्यक्तिगत खाता (पी0एल0ए0) यदि पूर्व में न खुला हो तो एक सप्ताह के अंदर खुलवाना सुनिश्चित करें तथा समेकित निधि से आहरित वे सभी धनराशियो जो बैंक में रखी गयी हो अथवा सावधि(फिक्स डिपोजिट) जमा में रखी गयी हों, को तत्काल कोषागार के विभागीय पी0 एल0 ए0 में जमा कर दिया जाये। पी0 एल0 ए0 से तत्काल आवश्यकता की ही धनराशियो समान्य जमा या सावधि जमा में न की जायें।

कार्यालय जिला सैनिक कलयाण एवं पुनर्वास अधिकारी लैंसडाउन के लेखा अभिलेखों की जॉच (मई 2016) में पाया गया कि कार्यालय द्वारा शासनादेश के विरूद्व स्टेट बैंक आफ इंडिया में खाता संचालित किया जा रहा था। उक्त के संबंध में इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में अवगत कराया कि निदेशालय द्वारा पी0 एल0ए0 खाता खुलवाने से संबंधित कोई निर्देश जारी नही किये गयें हैं। सम्प्रेक्षा को उत्तर मान्य नही था क्योंकि उपरोक्त शासनादेशानुसार सभी विभाग को पी0 एल0 ए0 खाता खोला जाना अनिवार्य है। अतः शासनादेशानुसार पी0 एल0 ए0 खाता न खोले जाने प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग दो 'ब'</u>

प्रस्तर 3: शासनादेशानुसार रू 10.97 लाख के कार्यो के सापेक्ष एम0 ओ0 यू0/अनुबंध निष्पादन न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 1176/XXV-5/2014-09(33)/2006 दिनांक 10–12–2014 के वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–15 के अयोजनागत मद प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष सैनिक विश्राम गृह, कोटद्वार के सुदृढ़ीकरण/मरम्मत कार्य हेतु गठित पुनरीक्षित आगणन की औचित्यपूर्ण लागत रू0 10.97 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 4003/सै0क0/सै0वि0गृ0/2014–15/89 के दिनांक 31 दिसंबर 2014 के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्माण एजेन्सी से निर्माण कार्य का एम0 ओ0 यू0 किया जाना आवश्यक था। खण्ड द्वारा उक्त कार्य हेतु कार्यदयी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग प्रखण्ड कोटद्वार को निर्माण कार्य हेतु चयनित किया गया एवं जनवरी 2015 में कार्यदयी संस्था को उक्त धनराशि प्रदान कर दी गयी थी। कार्यालय के निर्माण कार्य संबंधित पत्रावलियों की नमूना जॉच मे एम0 ओ0 यू0 संबंधित अभिलेख नही पाये गये।

उक्त को इंगित करने पर इकाई ने उत्तर में अवगत कराया कि शासनादेश की जानकारी न होने के **कारण** एम0 ओं0 नही किया जा सका। इकाई का उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही था क्योकि उक्त शासनादेशानुसार कार्यदायी संस्था से एम0 ओ0 यू0 किया जाना आवश्यक था अतः रू 10.97 लाख के **कार्यों** के सापेक्ष शासनादेशानुसार एम0ओ0यू0/अनुबंध निष्पादित न किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग-तीन</u>

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान/निराकरण स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें अलग से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर **जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी लैन्सडाउन (गढ़वाल)** को इस आशय से प्रेषित की गई कि वह लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के भीतर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)